प्रेस नोट **06.03.2026**

थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित के खाते में 16919/- धनराशि वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा साइबर अपराध को रोकने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष बसंतलाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय साइबर पुलिस पोर्टल से सम्बन्धित आवेदिका शाहेबा हयात पुत्री इरशाद अहमद निवासी 33 मोमिनपुरा मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ द्वारा दिये गये के प्रार्थना पत्र जिसमे धोखे से बुक राइटिंग के नाम पर आवेदिका से कुल (82000) रुपये का ट्रान्जेक्शन किये जाने के सम्बन्ध मे एन.सी.आर.पी. पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी गयी थी। उक्त प्रार्थना पत्र के जाँच के क्रम मे थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ की साइबर पुलिस टीम द्वारा होल्ड कुल धनराशि 16919/- रुपये को दिनांक 03.03.2025 को आवेदिका शाहेबा हयात उपरोक्त को उसके बैंक एकाउन्ट मे कुल सोलह हजार नौ सौ उन्नीस (16919/-) रुपये वापस कराया गया।

बरामदगी कराने वाली साइबर क्राइम पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष बसंतलाल, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
2. म0उ0नि0 निशा त्रिपाठी थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड –ए नवनीत पाण्डेय, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
4. म0का0 प्रीति सिंह , थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
5. म0का0 स्वाती चौबे , थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

गैर-इरादतन हत्या मामले में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पुलिस बुथ कस्बा दोहरीघाट के पास से मु0अ0सं0 34/2026 धारा 105, 115(2) 352 बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त मनीष यादव उर्फ लाला पुत्र स्व0 रामप्यारे यादव निवासी कमला तिवारी पुरा कस्बा दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 34/2026 धारा 105, 115(2) 352 बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

अभियुक्त का विवरण–

1. मनीष यादव उर्फ लाला पुत्र स्व0 रामप्यारे यादव निवासी कमला तिवारी पुरा कस्बा दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. हे0का0 विजय यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. का0 मनोज यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित के खाते में 49000/- धनराशि वापस कराया गया–
पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना व प्रभारी निरीक्षक श्री कमलकांत वर्मा थाना मुहम्मदाबाद के निर्देशन में थाना स्थानीय के साइबर पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के जांच के क्रम में आवेदक अविनाश यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी क्याम पुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा साइबर पोर्टल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एपीके फाइल भेज कर आवेदक से पैसे का फ्रॉड हो जाने के संबंध में शिकायत की जांच के क्रम में थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम की क0आ0 संजय गुप्ता ,म0आ0 शालिनी मौर्य व म0आ0प्रिया सिंह द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक के फ्रॉड की गई धनराशि 49000/रु0 को उसके खाते में वापस कराया गया।